न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 76 / 2017

सुशीला देवी पत्नी श्री सुवालाल, उम्र 60 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी कस्बा चौंमू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी / अपीलान्ट–

बनाम

1. माफी मन्दिर श्री सीताराम जी बहैसियत पुजारी, ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर जरिये पुजारी श्याम सुन्दर शर्मा पुत्री श्री मुरलीधर
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौंमू, जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री बृजराज गौतम अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री आर.के. वर्मा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से

3– श्री ग्यारसी लाल मीणा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– **11–01–2018**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनवानी प्रकरण सुशीला देवी बनाम माफी मन्दिर प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट / प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना–पत्र के अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी की ग्राम लोहरवाडा पटवार हल्का लोहरवाडा तहसील चौंमू में भूमि खसरा नम्बर 428 व 439 स्थित है। जिसके अपीलार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपीलार्थी की भूमि के लगवा भूमि खसरा नम्बर 485 व 486 जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि से अपीलार्थी व उसका परिवार अर्सा करीब 20 वर्ष से 20 फीट चौडा रास्ते से आते जाते रहे है वह रास्ता मौके पर बना हुआ है तथा अपीलार्थी उक्त रास्ते से अपने कृषि बुवाई के साधन वगैरा लाते जाते रहे हैं उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता अपीलार्थी की भूमि में आने का नहीं है मगर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी को व उसके परिवार को उक्त रास्ते से आने जाने व रिकॉर्ड में रास्ता देने से इंकार करने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2017 को बिना रेस्पोडेंट / अप्रार्थीगण की आपत्ति के प्रार्थना पत्र पक्षकारों को सही रूप से संयोजित ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

करने का उल्लेख करते हुए खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर फरमाये बिना तथा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेंट संख्या 2 की तामील के बिना किसी पक्षकार के कोई एतराज प्रस्तुत किये बिना खारिज कर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से नियमानुसार तामील होने के बाद बतौर पुजारी श्याम सुन्दर पुत्र मुरलीधर हाजिर अलदात होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया था जिससे यह नहीं माना जा सकता कि मन्दिर मूर्ति को बिना संरक्षक/पुजारी पक्षकार संयाजित किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर की उक्त व्यक्ति प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं है, प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कहीं पर भी यह वर्णन नहीं किया है कि प्रार्थना पत्र किस कानून के प्रावधानों के तहत खारिज किया है। प्रार्थना पत्र एक बार दर्ज रजिस्टर होने के बाद कानूनन प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण का जवाब लिया जाकर गुणदोषों के आधार पर निरस्तारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सही रूप से संयोजित ना करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि उक्त त्रुटि प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। उक्त गलती को दुरूस्त किये जाने का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को दिया जाना आवश्यक था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई अवसर दिये आदेश पारित कर गलती की है। यह बात सत्य है कि मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा कानूनी रूप से मन्दिर के खिलाफ दावा या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पर्व पुजारी या सरंक्षक बनाना कानूनन आवश्यक है अगर मन्दिर की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है तो न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि मन्दिर की तरफ से किसी भी व्यक्ति या संस्था को या पुजारी को संरक्षक नियुक्त कर प्रकरण की पैरवी करवायी जा सकती थी मगर इस प्रकरण में पुजारी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में पैरवी करना शुरू कर दिया था तथा वकालतनामा भी रिकॉर्ड पर लिया जा चुका था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के खिलाफ जाकर प्रार्थना पत्र तकनीकी के आधार पर खारिज कर गलती की है।अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यो को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमर्जी से तथा कानून के खिलाफ जाकर पारित किया गया है जो शुन्य एवं अवैध है। न्यायालय को प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षिप्त जांच करने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना चाहिए

राजस्व अपील प्राधिकारी

था परन्तु न्यायालय ने अनुचित तौर पर पक्षकारों को सही रूप सं संयोजित नहीं करने का अंकन कर प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया है। जो कि अनुचित है। प्रकरण में मूर्ति मन्दिर की तरफ से पुजारी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना हलफनामा प्रस्तुत कर पैरवी करना शुरू कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है जो कि अवैध है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2004 (1) सी.सी.सी. 543, 2000 (3) सी.सी.सी. 589 (कर्नाटक) प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में मूर्ति मन्दिर सीतारामजी को बिना किसी संरक्षक के पक्षकार बनाया गया है। जबकि नाबालिग को संरक्षक के साथ ही पक्षकार संयोजित किया जा सकता है। प्रकरण में श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री मुरलीधर द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तथा उसके पुजारी होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिस जॉइन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर उचित तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

7– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था तथा खसरा नम्बर 485 व 486 की आराजी में से आने–जाने हेतु रास्ता मंजूर करने का अनुतोष चाहा गया था। खसरा नम्बर 485 व 486 की खातेदारी माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज होने से प्रार्थी द्वारा प्रकरण में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी बहैसियत पुजारी ग्राम लोहरवाडा को अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी द्वारा पक्षकार के नाम में पुजारी का नाम अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि "प्रार्थी ने मन्दिर श्री सीतारामजी की माफी भूमि से रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु गौर करने योग्य यह है कि मन्दिर मूर्ति जूरिस्टिक पर्सन तथा शाश्वत नाबालिग है जिसे विधिक रूप से बिना किसी संरक्षक (नेक्सट फैंड) पुजारी के जरिये पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। यह प्रार्थी द्वारा मन्दिर मूर्ति को बिना संरक्षक और पुजारी बिना पक्षकार संयोजित किया है। हास्यापद यह भी हे कि इस प्रार्थना पत्र पर श्यामसुन्दर पुत्र श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी लोहरवाडा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है। जबकि उक्त व्यक्ति प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं है। अधिवक्ता द्वारा अभिवचन किया गया कि उक्त व्यक्ति ही मन्दिर का पुजारी है परन्तु कही भी प्रार्थना पत्र में कहीं उक्त व्यक्ति बहैसियत पुजारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता का यह कथन सन्देह के घेरे में है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकारो को सही रूप से संयोजित करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

असफल रहे हैं। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार को सही रूप से संयोजित नहीं करने के कारण इसी आधार पर खारिज किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय के उपर्युक्त विवेचन एवं निष्कर्ष के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पक्षकारों को सही रूप से संयोजित नहीं करने के कारण खारिज किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम से दर्ज होने के कारण माफी मन्दिर श्री सीताराम जी को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 बनाया गया है। यह दीगर बात है कि प्रार्थी द्वारा पुजारी का नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को चाहिए था कि वे अपनी ओर से मन्दिर का कोर्ट गार्जियन नियुक्त करते अथवा लैण्ड होल्डर तहसीलदार को मन्दिर की तरफ से पैरवी करने के निर्देश दिये जाने चाहिए थे। पक्षकारों के गलत संयोजन अथवा असंयोजन के आधार पर वाद अथवा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (3) सी.सी.सी. 589 (कर्नाटक) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "suit cannot be dismissed for non joinder or misjoineder of parties court has power to strike out or add parties soumotu"। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2004 (1) सी.सी.सी. 543 (उडीसा) में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " Suit not liable to be dismissed on ground of nonjoinder of necessary parties" उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण में उचित तौर पर लागु होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारों के सही रूप से संयोजित नहीं करने के कारण खारिज किया जाना विधिक दृष्टि से अनुचित है तथा इसमें न्यायालय द्वारा सारभूत विधिक त्रुटि कारित की गई है। इसे बहाल रखा जाना उचित नहीं है। अपील अपीलन्ट् स्वीकार योग्य पायी जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–01–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाकर तथा उभय पक्ष को सुना जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 11–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर